

## राजस्थान सरकार

### निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एन-17/2019/

दिनांक:-

### आदेश

श्रीमती नीलम शर्मा, नर्स-2 (परिवीक्षाधीन) कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, जैतपुरा, चौमू, जयपुर को आदेशो की प्रतिकक्षा अवधि दिनांक 13.07.2017 से 29.08.2017 तक 48 दिवस को राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 7 (8) (बी) (111) एवं वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1 (1) एफडी (रूल्स)/2017 दिनांक 06.08.2018 के अन्तर्गत ड्यूटी पर मान जाने तथा नियमो के नियम 25(ए) के तहत वेतन भुगतान करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश राज्य सरकार की आई.डी. संख्या 334 दिनांक 06.02.2019 के अनुसरण में जारी किये जाते है।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एन-17/2019/183

दिनांक:- 11/3/19

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आई डी क्रमांक 325/एमएमएच/2019 दिनांक 04.02.2019 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव माननीय राज्य मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आई डी क्रमांक 13/एसएम/एमएण्डएच/2019/ दिनांक 01.02.2019 के सन्दर्भ में।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक 334/एसीएस/एम एण्ड एच/2019 दिनांक 06.02.2019 के संदर्भ में।
4. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक 2278 दिनांक 18.01.2019 के संदर्भ में।
5. उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, ई0एस0आई0 योजना, लक्ष्मी नगर अजमेर रोड, जयपुर-06 ।
6. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, जैतपुरा, चौमू, जयपुर।
7. श्रीमती नीलम शर्मा, नर्स-2 द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
9. आदेश/निजी पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर